

खेती संदेश

Postage Registered No. PB/PTA/0339/2025-2027

WEEKLY KHETI SANDESH

E-mail : khetisandesh2025@gmail.com

Chief Editor : Parminder Kaur • RNI - PBBIL/25/A0210 • Issue Dt. 13-04-2026 • Vol.2 No.15 • H.O. : # 9-A, Ajit Nagar, Patiala-147001 (Pb.) • M. 90410-14575 • Page 12

बारिश में धूल गई उम्मीद... गेहूं की फसल को नुकसान

हरियाणा/पंजाब में गत सप्ताह रुक-रुक कर हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। पंजाब के पठानकोट, मोगा, अबोहर, संगरूर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश के कारण कई जगहों पर गेहूं की खड़ी फसल बिछ गई है। किसानों ने गेहूं का दाना काला पड़ने और इस बार पैदावार कम होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि भीगी फसल को जल्द काटना मुश्किल है। पंजाब राज्य में इस माह हुई बारिश से 1.30 लाख एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं। खरबूजा, खीरा समेत फल-सब्जियों की फसल को भी नुकसान की आशंका है।

नुकसान के सर्वे के लिए 900 से अधिक कर्मी मैदान में उतरे

पंजाब में हाल ही में खराब मौसम और ओलावृष्टि से हुई फसलों की तबाही



भारी बारिश के चलते मंगलवार को पंजाब के पटियाला जिले में नाभा रोड पर स्थित एक गांव में गेहूं की क्षतिग्रस्त फसल के बीच बैठा एक मायूस किसान।

के बाद राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने आंकलन करने के लिए कृषि 500 व

राजस्व विभाग के 400 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन टीमों में ग्रुप-ए के 145 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जो सात प्रभावित जिलों अमृतसर, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर और मोगा में निरीक्षण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। राज्य में बारिश और ओलावृष्टि के कारण 1.30 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है।

पंजाब सरकार ने इस नुकसान के सटीक आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी करवाने का फैसला लिया है। इसको लेकर टीमों भी उतार दी हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विशेष गिरदावरी को सही और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए माल विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करें। यह कदम पंजाब सरकार की ओर से फसल नुकसान के आंकलन के ऐलान के तुरंत बाद उठाया गया है।

Greengold

**किसान खुशहाल
तो देश खुशहाल**



**किसान भाईयों को बैसाखी की
हार्दिक शुभकामनाएं**

FARMGAIN



KSA 756 XH STRAW REAPER



KSA 9355 SELF COMBINE



TOLL FREE NUMBER

1800-120-004455

KS GROUP
MALERKOTLA, PUNJAB

ईंधन संकट

एलपीजी का विकल्प बन सकती है बायोगैस

वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता



डॉ. शशांक द्विवेदी

है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है।

भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों घरों तक एलपीजी पहुंचाकर स्वच्छ ईंधन की क्रांति लाई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती आयात निर्भरता, कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हाल के समय में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। अमेरिका इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर

कर दिया है।

निरुसंदेह, यह स्थिति भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए एक चेतावनी है कि अब ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न को टालना संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। कृपेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और घरेलू रसोई तक प्रभावित होती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प तलाशें। इसी संदर्भ में बायोगैस एक मजबूत और टिकाऊ समाधान के रूप में उभरती है।

बायोगैस जैविक कचरे जैसे गोबर, कृषि अवशेष, रसोई कचरा आदिक से उत्पन्न गैस है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है। यह गैस खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोगैस

आकार के बायोगैस प्लांट स्थापित कर स्थानीय स्तर पर गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से बायोगैस को शुद्ध कर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाया जा सकता है, जो एलपीजी और सीएनजी का प्रभावी विकल्प है। 'गोबर-धन योजना' और 'एस.ए. टी.ए.टी.' जैसी योजनाएं बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। इनके माध्यम से किसानों और उद्यमियों को आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस में बदलकर न केवल ऊर्जा पैदा की जा सकती है, बल्कि कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।

भारत में एलपीजी की सालाना खपत लगभग 28-31 मिलियन टन के आसपास है। भारत



की अपार संभावनाएं हैं। गांवों में पशुधन और जैविक कचरे की उपलब्धता इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है।

गांवों में छोटे और मध्यम

में एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 10-12 एमएमटी प्रति वर्ष है। यानी कुल मांग का केवल 35-40 प्रतिशत ही देश में बनता है। भारत को हर साल लगभग



18-22 एमएमटी एलपीजी आयात करनी पड़ती है। यानी 60-65 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भरता। भारत आधा से ज्यादा एलपीजी बाहर से खरीदता है। आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

भारत में अभी लगभग 132 सीबीजी प्लांट चल रहे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 920 टन प्रतिदिन है। यानी अभी बायोगैस का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है। भारत 20 एमएमटी सीबीजी बना सकता है। कुल संभावित क्षमता कचरा, गोबर, अवशेष की। कुल क्षमता लगभग 60 एमएमटी तक मानी जाती है। इसका मतलब भारत अपनी पूरी एलपीजी जरूरत (30 एमएमटी) बायोगैस से पूरा कर सकता है। फिलहाल अभी लगभग 300 से अधिक नए प्लांट निर्माणाधीन हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत में 2030 तक बायोगैस उत्पादन 7 गुना तक बढ़ सकता है।

बायोगैस न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जैविक खाद भी मिलती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही, यह स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। हालांकि, बायोगैस के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं - जैसे शुरुआती निवेश,

तकनीकी जानकारी की कमी और जागरूकता का अभाव। भारत में बायोगैस को लेकर अभी भी कई भ्रांतियां हैं। कई लोग इसे 'गांव की तकनीक' मानते हैं या इसके उपयोग में असुविधा महसूस करते हैं। दूसरी ओर, एलपीजी को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एलपीजी को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराएं।

वर्तमान वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। बायोगैस जैसे स्वदेशी और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति दे सकता है।

आज जरूरत है एक समन्वित प्रयास की। कृषि, तकनीक और जनभागीदारी के जरिए कृषि बायोगैस को एलपीजी का वास्तविक विकल्प बनाया जा सके और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

लेखक टीएसएससी, परियोजना प्रबंधक हैं।

दलहनी फसलों में मूंग भारत की महत्वपूर्ण फसल है। यह एक कम अवधि की फसल है व कम उपजाऊ भूमि में बोई जाती है। विभिन्न फसलों के साथ और फसल-चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में मूंग का प्रमुख स्थान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख ग्रीष्म मूंग उत्पादक राज्य हैं। मूंग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व व विटामिन भी होते हैं। मूंग से नमकीन पापड़ तथा मंगौड़ी जैसे स्वादिष्ट उत्पाद भी बनाए जाते हैं। मूंग की हरी फलियों को सब्जी के रूप में बेच कर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं।

मूंग की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, यदि इन रोगों की सही समय पर पहचान कर ली जाए, तो इस फसल को बचाया जा सकता है। इस लेख में मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों व उनकी रोकथाम का उल्लेख किया गया है।

1. जड़ गलन : इस रोग से पौधे पीले व सिकुड़ जाते हैं। पौधों की जड़ें गल जाती हैं। अधिक प्रकोप के कारण



मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग व उनकी रोकथाम

सारा पौधा नष्ट हो जाता है।

रोकथाम : * इस रोग का नियंत्रण करने के लिए 4 ग्राम थाइरम प्रति किलो बीज की दर से सूखा बीज उपचार करें।

* तीन साल का फसल-चक्र अपनाएं।

2. पीला मोजूक : पौधों के पत्ते पीले व कहीं-कहीं हरे नजर आते हैं। रोग

के अधिक प्रकोप से सारे पत्ते पीले हो जाते हैं।

रोकथाम : * रोगी पौधों को जड़ से उखाड़ दें।

* खरपतवारों को समय-समय पर नष्ट करें।

* सफेद मक्खी को रोकने के लिए

बुवाई के 20-25 दिनों के बाद 10-15 दिनों के अंतराल पर 250 मिलीलीटर डाईमैथोएट 30 ई.सी. या 250 मिलीलीटर ऑक्सिडेमेटान मिथाईल 25 ई.सी. या 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 ई.सी. को 250 लीटर पानी में मिला कर प्रति एकड़ छिड़काव करें।

3. पत्तों का धब्बा रोग : इस रोग के कारण मूंग के पत्तों पर भूरे लाल रंग के कोणदार धब्बे हो जाते हैं, जो बीच में धूसर या भूरे रंग के और सिरों पर लाल-जामुनी रंग के होते हैं। यह रोग तनों व फलियों पर भी दिखाई देता है।

रोकथाम : 600-800 ग्राम ब्लाइटॉक्स को 200 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।

4. पत्तियों में जीवाणु रोग : छोटे-छोटे जलसिकत बिन्दु पत्तों की सतह पर दिखाई देते हैं। इसके आस-पास के तन्तु गल जाते हैं।

रोकथाम : 600-800 ग्राम ब्लाइटॉक्स को 200 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।



डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर,
पूर्व प्रधान वैज्ञानिक अनुसंधान
भारतीय कृषि अनुसंधान
संस्थान, नई दिल्ली
मो. 9416801607

आदि काल से, भारत में कृषि विपणन का एक व्यवस्थित ढांचा मौजूद था, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्थानीय मंडियों पर आधारित था। उस समय, किसान न केवल अपने उपभोग के लिए, बल्कि विशेष फसलों (जैसे कपास, मसाले, अनाज आदि) का उत्पादन व्यापार के लिए भी करते थे। यह विपणन व्यवस्था ग्राम आधारित थी, जिसमें बिचौलियों के बहुत कम हस्तक्षेप से स्थानीय हाट-बाजारों के माध्यम से लेनदेन में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। तब किसान अपने उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे और स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को बाजार में बेचने का निर्णय ले सकते थे।

प्राचीन भारत में कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक संरचना की धुरी थी, जो एक व्यवस्थित और उन्नत विपणन प्रणाली के माध्यम से काम करती थी। लेकिन मुगल काल में कृषि विपणन एक व्यवस्थित और वाणिज्यिक प्रणाली थी, जो नकद राजस्व की मांग के कारण विकसित



हुई। इसमें मध्यस्थों (बनिया, महाजन), साप्ताहिक हाटों, ग्रामीण मंडियों और शहर के बाजारों के माध्यम से फसलों का व्यापार होता था। नकदी फसलें जैसे कपास, नील, गन्ना, और तंबाकू के बड़े पैमाने पर व्यापार से ग्रामीण-शहरी संबंध मजबूत हुए।

फिर ब्रिटिश शासनकाल में 19वीं सदी के अंत में, ब्रिटिश शासकों ने मैनचेस्टर की मिलों के लिए कपास की निर्बाध आपूर्ति हेतु विपणन के नियमन की आवश्यकता महसूस की। 1886 में हैदराबाद में पहला विनियमित 'करंजिया कपास बाजार' स्थापित किया गया, और 1897 में बेरार

कच्ची पर्ची पर रोक मंडियों में बिचौलिए/आदतियों के शोषण के खिलाफ किसानों के लिए कारगर सुरक्षा कवच

कपास व अनाज बाजार अधिनियम पारित किया गया। 1928 में गठित कृषि पर शाही आयोग ने कृषि बाजार नियमन पर सिफारिशें दीं और 1938 तक एक आदर्श कृषि

की जाने वाली मनमानी कटौतियों (आदत, तुलाई, मुनीमी आदि) को अवैध घोषित किया गया और फसल की खुली नीलामी अनिवार्य की गई। उन्होंने ही खेती की लागत

वर्तमान में एमएसपी प्रणाली का आधार बनी।

देश की आजादी के बाद, सर छोटूराम द्वारा ब्रिटिश पंजाब में लागू किए गए कृषि उपज मंडी

और राज्यों ने कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पारित किए, जिसके तहत स्थानीय मंडियां स्थापित की गईं। इसका उद्देश्य बिचौलियों के शोषण को कम करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना था। शुरुआत में, कृषि एवं कृषि प्रबंधन समितियां (ए.पी.एम.सी.) वास्तव में प्रभावी थीं। इन्होंने कृषि व्यापार में नीलामी आधारित मूल्य निर्धारण, मानकीकृत वजन प्रणाली, लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और विनियमित लेन-देन प्रक्रियाओं को लागू किया। इनके गठन के समय, ए.पी.एम.सी. को नीलामी के माध्यम से बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को विपणन की उच्च लागत और उपज के नुकसान से बचाने के लिए एक लोकतांत्रिक समाधान के रूप में सराहा गया था। समय के साथ, किसानों की सुरक्षा के लिए बनाई

शेष पृष्ठ 10 पर



उपज विपणन समिति अधिनियम विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया था।

हालांकि, औपनिवेशिक सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखना था। किसानों के पास कोई मानकीकृत वजन प्रणाली नहीं थी, न ही बाजार मूल्य की जानकारी थी, और न ही उन साहूकारों से कोई सुरक्षा थी जो उन्हें मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। फसल कटाई से पहले साहूकार का कर्ज चुकाने वाले किसान के पास जो भी कीमत दी जाती थी, उसे स्वीकार करने के अलावा

के बदले में किसानों को मुआवजा देने की अवधारणा पेश की, जो

सुधारों के आधार पर स्वतंत्रता के बाद की कृषि नीति तैयार की गई



No. 1
RURAL WEEKLY

Now Think Before Advertising
KHETI DUNIYAN RETAINS LEADERSHIP IN READERSHIP



KHETI DUNIYAN
VOICE OF THE FARMERS

KD COMPLEX, GAUSHALA ROAD, NEAR SHER-E-PUNJAB MARKET,
PATIALA-147001 (PB.) INDIA
Mob. 90410-14575
khetiduniyan1983@gmail.com

खेती संदेश

KHETI SANDESH

मुख्य कार्यालय :
9-ए, अजीत नगर,
पटियाला-147001
(पंजाब)
मो. 98151-04575

कार्पोरेट कार्यालय :
के.डी. कॉम्प्लेक्स, गरुशाला रोड,
नजदीक शोरे पंजाब मार्केट,
पटियाला-147001
(पंजाब)
मो. 90410-14575

वर्ष : 02 अंक : 15
तिथि : 13-04-2026

सम्पादक

परमिंदर कौर

सम्पादकीय बोर्ड

डॉ. डी.डी. नारंग
डॉ. जे.एस. डाल
डॉ. आर.एम. फुलझेले

Editor : PARMINDER KAUR
Printer, Publisher and Owner of Weekly
'KHETI SANDESH' Printed at Dristi Printers,
Dasmesh Market, Near Sher-e-Punjab Market,
Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) and
published from Kheti Sandesh, House No. 9-A, Ajit Nagar,
Patiala-147001 (Pb.). E-mail : khetisandesh2025@gmail.com
Mob. 90410-14575, RNI No. PBBIL/25/A0210



बहुत ज़रूरी है मधुमक्खी वंशों का निरीक्षण

मधुमक्खी-पालन मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में लाभदायक व्यवसाय है। इस व्यवसाय की कृषि विविधीकरण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका है। मौनवंशों की ज़रूरतों एवं आवश्यकतानुसार प्रबंध के लिए मधुमक्खी परिवार का निरीक्षण बेहद ज़रूरी है। मधुमक्खी निरीक्षण मधुमक्खी-पालन प्रबन्धन का प्रमुख हिस्सा है। मधुमक्खी वंशों की प्रगति जानने के लिए आमतौर पर इनका 15-21 दिन के अंतर पर अवलोकन करना चाहिए परन्तु वकछूट के मौसम (जनवरी से अप्रैल) में 4-5 दिन के अंतराल पर अवलोकन करना आवश्यक है। निरीक्षण विभिन्न ऋतुओं के अनुसार उचित समय पर ही करना चाहिए क्योंकि मधुमक्खियाँ अपने कार्य में कम से कम व्यवधान पसंद करती हैं।

क्यों ज़रूरी है निरीक्षण

* क्या बक्से में कोई गंदगी तो नहीं? यदि गंदगी है तो तलपट्टे की सफाई ज़रूर करें।

* क्या परिवार में कोई बीमारी, अष्टपदी या मोमी पतंगे आदि का प्रकोप है या नहीं। यदि है तो उसके नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए।

* क्या रानी मधुमक्खी पर्याप्त अण्डे दे रही है। यदि किसी कारणवश रानी मक्खी मर गई या बक्सा छोड़ गई है तो नई रानी परिवार को उपलब्ध करवाना बेहद ज़रूरी है। कई बार रानी मधुमक्खी दिखाई नहीं देती, परन्तु ताजा दिए गए अण्डे मौजूद हैं तो भी रानी मधुमक्खी की मौजूदगी मानी जाएगी।

* क्या रानी मधुमक्खी के लिए अण्डे देने का पर्याप्त स्थान है या नहीं। यदि नहीं तो आवश्यकतानुसार बक्से में नए छत्ते डालें। यदि बक्से में छत्तों की संख्या आवश्यकता से अधिक है तो उन छत्तों को बक्सों से निकाल दें।

* क्या परिवार के छत्तों में पर्याप्त भोजन (मकरन्द तथा पराग) उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो परिवार को कृत्रिम भोजन या चीनी की चाशनी देने की आवश्यकता है।

* क्या चौखटों में तैयार शहद निष्कासन के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर पेटिका के सभी फ्रेम भर चुके हैं, रानी अण्डे भी भरपूर दे रही है और पर्याप्त मात्रा में मौनचर उपलब्ध है तो इसका अर्थ है कि ऊपर सुपर बक्सा चढ़ाएं या फिर कालोनी का विभाजन करें।

* क्या मधु स्राव का अधिक लाभ लेने के लिए मधुमक्खी परिवार शक्तिशाली है या नहीं? इसके लिए फ्रेमों में पर्याप्त मात्रा में शिशु, अण्डे, मकरन्द तथा पराग होना चाहिए।

* यदि परिवार काफी कमजोर है और फ्रेमों की संख्या भी कम है तो दो कालोनियों को आपस में मिला देना चाहिए।

* क्या रानी बनाते समय नर मधुमक्खियों की संख्या रानी मधुमक्खी से मिलन के लिए पर्याप्त है? यदि नरों की संख्या रानी मधुमक्खी संभोग के समय कम होगी तो रानी मिलन से वंचित रह जाएगी तथा अण्डे कम देगी। यदि नर की संख्या आवश्यकता से अधिक है या फिर प्रजनन मौसम के बाद भी इनकी संख्या अधिक हो तो नर कोष्ठकों को नष्ट कर देना चाहिए।

* अगर बक्से में नई रानी को छोड़ा है तो 24 घंटे

के बाद यह जानने के लिए निरीक्षण ज़रूरी है कि परिवार के सदस्यों ने नई रानी को स्वीकार कर लिया है या नहीं।

* क्या परिवार में रानी कोष्ठ बन रहे हैं? यदि रानी बूढ़ी है और बदलनी है तो नई रानी पैदा होने दें।

मौनवंश निरीक्षण का

उचित समय व अंतराल

* आमतौर पर मौनवंशों का 15 से 21 दिन के अंतर पर निरीक्षण करना काफी होता है, परन्तु वकछूट के दिनों में 4 से 5 दिन में निरीक्षण कर लेना चाहिए।

* बगैर ज़रूरत के बक्सों को बार-बार खोलना अच्छा नहीं रहता, इससे मधुमक्खियों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप शहद उत्पादन व परिवार बढ़ोत्तरी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

* मधुमक्खी वंशों के निरीक्षण का समय अलग-अलग ऋतुओं/मौसमों में अलग-अलग होता है। जैसे सर्दियों के मौसम में जब अधिक ठण्ड पड़ती है तो निरीक्षण

तब करें, जब खुली धूप निकली हो और ठण्डी हवाएं न चल रही हों यानि की सुबह 11 बजे से सांय: 3 बजे के बीच जब वातावरण में गर्मी हो।

* गर्मियों के मौसम (मई-जून) में जब दिन में तापमान अधिक होता है, उस समय मौन वंशों का निरीक्षण सुबह 6 से 9 बजे

के बीच और सांय:काल 5 बजे से 7 बजे के बीच करें। बारिश के समय डिब्बों (बक्सों) को ना खोलें।

* सामान्यतः अधिक गर्मी, अधिक ठण्ड, धुंध, कोहरा, आंधी, बादलवाई एवं धुएं की अवस्था में निरीक्षण नहीं करना चाहिए।

* बरसात और तेज़ हवाएं चल रही हों तो बक्सों का अवलोकन नहीं करना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान सावधानियां

* निरीक्षक के पास मुंह ढकने के लिए जाली या नकाब, हाईव टूल, दस्ताने एवं धुआकार होना ज़रूरी है तथा कालोनियों का विवरण लिखने के लिए पैन व रजिस्टर भी होना चाहिए। निरीक्षक को आवश्यकतानुसार ही अपने शरीर को हिलाना चाहिए, पर काम में सतर्क व सामान्य रहना चाहिए।

* दो चौखटों के बीच में या मधुकक्ष को शिशु कक्ष के ऊपर रखते समय या अंतरपट रखते समय मधुमक्खी दब कर नहीं मरनी चाहिए।

* निरीक्षक के कपड़ों अथवा शरीर में तेज़ खुशबू वाला तेल, क्रीम या पाऊडर नहीं होना चाहिए। अन्यथा मधुमक्खियां आक्रमण कर सकती हैं। काले रंग के कपड़ों पर भी मधुमक्खियां अधिक गुस्सा करती हैं।

* यदि कमेरी मधुमक्खियां डंक मार दें तो शांत बने रहें। हाईव टूल की सहायता से डंक को खुरच कर बाहर निकाल दें और डंक वाले स्थान पर हरी घास की पत्ती या मिट्टी रगड़ लें अन्यथा दूसरी मधुमक्खियों के डंक मारने का खतरा बना रहता है।

* दूसरी कालोनी का निरीक्षण करने से पूर्व हाथ, दस्ताने, हाईव टूल आदि को पोटाशियम परमैंगनेट के पानी से या साबुन से धो लें ताकि बीमार कालोनी की बीमारी दूसरी कालोनी में ना लगे।



बीज कानून पाठशाला

सीड प्रोसेसिंग प्लांट से सैम्पल लेने की बीज निरीक्षक की जिद

बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की रचना की है। इन बीज कानूनों में बीज को चरित्रवान बनाए रखने के लिए बीज निरीक्षक एवं बीज विक्रय लाइसेंस प्राधिकारी को असीम शक्तियां दी गई हैं। ये प्राधिकारी इन शक्तियों का उपयोग कानूनों के आधार पर न करके अपने आधार पर विवेचना करते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।

1. सीड प्रोसेसिंग प्लांट से सैम्पल : बीज निरीक्षक को बीज विक्रेताओं के पटल (Counter) से सैम्पल लेना चाहिए, परन्तु ये बीज विधायन संयंत्रों से सैम्पल लेते हैं, जो गैर-कानूनी है।

2. बीज नियम-17(vii) : कोई भी प्रमाण-पत्र धारक यानि बीज उत्पादक को अपने प्रोसेसिंग प्लांट में घुसने को तभी अधिकृत करेगा, जब उसके पास राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की लिखित में अनुमति होगी। अर्थात् राज्य बीज प्रमाणीकरण की लिखित अनुमति के बिना बीज निरीक्षक न केवल सैम्पल लेने के लिए बल्कि पड़ताल करने के लिए भी प्रवेश नहीं कर सकते।

3. बीज नियम-17(viii) : कोई भी प्रमाण-पत्र धारक अर्थात् प्रमाणित बीज उत्पादक CSP = Certified Seed Producer बीज

आर.बी. सिंह, बीज कानून रत्न, एरिया मैनेजर (सेवानिवृत्त), नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का संस्थान), सम्प्रति - 'कला निकेतन', ई-70, विथिका 11, जवाहर नगर, हिसार-125001 (मो. 94667-46625) आशीष कुमार, राड-प्रान्तीय सम्बंधक, इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट लिमिटेड, बीज संसाधन संयंत्र, काजला धाम रोड, दुर्जनपुर, जिला हिसार (मो. 82959-88417)

निरीक्षक को राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से लिखित में अधिकृत करने पर अपने प्लांट प्रीमियम में रिकॉर्ड, रजिस्टर, सैम्पल लेने और अन्य सूचनाएं लेने के लिए घुसने देगा।

नियम-23(a) : बीज निरीक्षक की शक्तियों के नियम-23(a) में उल्लेख है कि राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की मर्जी से जितना चाहे बीज विधायन संयंत्र का निरीक्षण कर सकते हैं।

4. स्थानीय कृषि विभाग का विरोध : उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर स्थानीय कृषि अधिकारियों ने घोर विरोध किया और कहा कि हम राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से अनुमति क्यों लें। हम राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिनिस्थ (Subordinate) नहीं हैं, जो हम राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से अनुमति लें। मैंने उन्हें बताया कि न तो कृषि विभाग राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिनिस्थ है और राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भी स्वपोषी (Autonomous) है और कृषि विभाग के अधिनिस्थ नहीं है, परन्तु दोनों बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियम 1968 के अधीन हैं और बीज कानूनों को मान्यता देना दोनों का कर्तव्य है।

5. केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया : केन्द्र सरकार ने इस बारे में जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के उत्तर में दिनांक 22.06.2016 को उत्तर दिया कि :

"As per Rule 17(vii), 17(viii) and 23(a) of the Seed Rules 1968, the Seed Inspector has to take written permission for sampling of Certified Seeds. However, under Seed Control Order 1983 which was notified vide G.S.R. No. 932(E) Dated 30.12.1983 under Essential Commodity Act 1955 under Clause 13(1)(b), the power has

been given to Seed Inspector to enter and search any premises where any seed is stored or exhibited for sale, draw sample and seize the stock etc."

अर्थात् उन्होंने माना कि



प्रमाणीकरण बीज के सम्बन्ध में बीज निरीक्षक नियम-17(vii), 17(viii) एवं 23(a) के आधार पर प्लांट प्रीमिसिस में नहीं प्रवेश कर सकता, परन्तु लेबल सीड (Self Certified Seed) के लिए प्लांट प्रीमिसिस में प्रवेश कर सकता है।

6. केन्द्र सरकार का पुनः निवेदन : उपरोक्त के उत्तर में केन्द्र सरकार को पुनः पत्र दिनांक 21/23-07-2015 के द्वारा अनुरोध किया कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा-13(1)(b) में जो प्रावधान किए हैं, वह बीज अधिनियम 1966 की धारा-14(1)(c) में स्वतः ही है। दूसरा बीज नियंत्रण आदेश 1983 बीज गुणवत्ता के लिए कम बल्कि Hording, Black Marketing, Uneven Distribution of Seed के लिए है, अतः बीज गुणवत्ता को मुख्यतः बीज अधिनियम 1966 के अनुसार ही नियंत्रित होगी। इस तथ्य की पुष्टि हेतु Sai Seed Agri. Farm V/s State of A.P. का हस्तान्त दिया, जिसमें बीज गुणवत्ता को लिए बीज अधिनियम को

अधिमान दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.01.1997 जिसके द्वारा सभी अधिकारियों को सूचित किया हुआ है कि बीज विधायन केन्द्रों का भ्रमण सैम्पल लेने के लिए न

किया जाए। इसके अलावा प्रमाणित एवं लेबल बीज (T.L. Seed) दोनों का उत्पादन भारत सरकार के Indian Minimum Seed Certification Standard के आधार पर होता है। इतना ही नहीं भारत सरकार द्वारा अधिसूचना GSR 444 दिनांक 26.07.2006 के द्वारा गैर-अधिसूचित किस्मों के मानक भी अधिसूचित किस्मों के बराबर कर दिए तो दोनों वर्गों में कोई अन्तर नहीं रहा।

7. केन्द्र सरकार का उत्तर : केन्द्र सरकार के उपायुक्त डॉ. आर.के. त्रिवेदी ने अपने पत्र क्रमांक 13-3/2014-SD-IV दिनांक 20.08.2015 को निम्न उत्तर दिया :-

"Seed Inspector notified under Section 14 of the Seed Act 1966 has power to regulate the quality of Seed of notified kind and varieties. However, the Seed Inspector notified under Section 12 of Seed Control Order 1983 has power to regulate the quality of Seeds of both notified and non-notified kind &

variety. In normal course, of the Seed Inspectors are not entering the processing plants for sampling.

8. कृषि विभाग की जिद : कृषि विभाग के बीज निरीक्षक अभी भी प्रोसेसिंग प्लांट से सैम्पल लेना अपनी शक्ति मानता है, जबकि इन्हें बीज व्यापारियों के यहां से सैम्पल लेने चाहिए।

9. न्यायाधिक निर्णय : चीफ ज्युडिसियल मजिस्ट्रेट, हिसार ने क्रिमिनल कम्प्लेंट 53II/2012 हरियाणा राज्य बनाम सुपर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हिसार के बाद का 24.09.2015 को निर्णय देते हुए बताया कि बीज निरीक्षक ने स्वीकार किया कि सुपर सीड्स प्रा. लिमिटेड के प्लांट में प्रवेश कर सैम्पल लेने के लिए बीज नियम-1968 के नियम-17(vii), 17(viii) के अनुसार हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, हिसार से लिखित अधिकार पत्र नहीं था, अतः न्यायालय ने निर्णय सुपर सीड्स प्रा. लिमिटेड, हिसार के हक में सुनाया।

10. राज्य बीज परीक्षणशाला उचानी-करनाल गैर-अधिसूचित : बीज अधिनियम 1966 की धारा-4 के अनुसार राजकीय बीज परीक्षणशाला का अधिसूचित होना आवश्यक है, परन्तु राजकीय बीज परीक्षणशाला उचानी-करनाल उस समय नोटीफाईड लैब नहीं थी। उचानी लैब लेखक के प्रयासों से दिनांक 02.09.2020 को अधिसूचना 1414-Agri-II(1)2020/E277 द्वारा अधिसूचित हुई। अतः उससे पहले की सभी रिपोर्ट अवैध (illegal) है, उसी प्रकार सुपर सीड्स प्रा. लिमिटेड, हिसार की गेहूँ बीज की रिपोर्ट 7445/07.12.2011 भी अवैध थी। हालांकि यह तथ्य इस वाद में विचारणीय नहीं रहा, बल्कि 02.09.2020 के जितने वाद न्यायालय में Pending है, उनमें यह Notification सटीक प्रमाण सिद्ध होगी और केस का रुख बदल देगी।

11. वर्तमान स्थिति : भारत सरकार की नियम कानून निर्मात्री संस्था Central Seed Certification Board के स्पष्टीकरण, बीज नियम 1968 के प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णयों के बाद भी बीज निरीक्षक बीज विधायन केन्द्र से ही सैम्पल लेने के लिए आतुर रहते हैं, जबकि उन्हें बीज विधायन केन्द्र से सैम्पल नहीं लेने चाहिए।

आई.सी.ए.आर.-आई.आई.एम.आर. लुधियाना के वरिष्ठ विज्ञानी को वासल अवॉर्ड

भारतीय कृषि अनुसंधान तंत्र में ऐसे वैज्ञानिक कम ही मिलते हैं, जिनका काम प्रयोगशाला से निकल कर सीधे किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान करे।

आई.सी.ए.आर.-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एम.आर.), लुधियाना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. भूपेन्द्र कुमार मक्का के पौध प्रजनन और जेनेटिक्स के विशेषज्ञ हैं। वह उन चंद वैज्ञानिकों में शुमार हैं, जिन्होंने मक्का सुधार को नई दिशा दी। इनके विकसित किए गए दो हाईब्रिड डी.एम.आर.एच.

डॉ. भूपेन्द्र के हाईब्रिड बीजों-1301 व 1308 ने कमाए 3000 करोड़

-1301 और 1308 पिछले नौ वर्षों में देश को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ दे चुके हैं। ये दोनों किस्में आज 25 से अधिक प्रतिष्ठित बीज कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही हैं।

मक्का अनुसंधान में उनके अग्रणी योगदान को मान्यता देते हुए भारतीय कृषि प्रगति ट्रस्ट (टी.ए.ए.एस.) ने वर्ष 2026 में उन्हें डॉ. एस.के. वासल अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन क्रॉप हाईब्रिड रिसर्च से

सम्मानित किया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रमाण-पत्र, स्मृति-चिह्न और एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रदान किया गया। उनके शोध का केन्द्र सूखा सहनशीलता, रोग प्रतिरोध और गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन है। वह पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) से स्नातक हैं। वह आई.सी.ए.आर.-आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली से स्नातकोत्तर (जेनेटिक्स) और यहीं से पीएच.डी. हैं।

डॉ. भूपेन्द्र कुमार अब तक 39 सिंगल-क्रॉस मक्का हाईब्रिड विकसित कर चुके हैं, जिनमें से 12 हाईब्रिड 32 निजी बीज कम्पनियों को लाइसेंस किए जा चुके हैं। उनके विकसित हाईब्रिडों की बाजार में मांग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये किस्में लगातार छह वर्षों तक केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ब्रीडर सीड मांग में पहले स्थान पर रही। उनकी दो प्रमुख किस्में डी.एम.आर.एच.-1301 और 1308 देश की 25 बीज कम्पनियों द्वारा व्यावसायिक रूप से अपनाई गई हैं।

मच्छर करें परेशान तो घर में लगाएं ये पौधे

कछुआछाप, हिट या ऑलआऊट जैसे प्रोडक्ट आपके बच्चे की सेहत के लिए कितने सुरक्षित हैं, यह कहा नहीं जा सकता। घर के अंदर हर वक्त इनको जलाए रखना भी सम्भव नहीं है। पर टेशन न लें। अगर आप अपने घर को मच्छरों के प्रकोप से बचाए रखना चाहते हैं, तो बस कुछ पौधे खरीद लाएं और अपनी बालकनी, आंगन, बगीचे और ड्राइंग रूम को इन पौधों से सजा दें। देखिएगा कि किस चमत्कारी ढंग से मच्छर-मक्खी आपके घर से छूमंतर हो जाते हैं। यह पौधे न सिर्फ आपके घर में मच्छरों की एंट्री को रोकेंगे, बल्कि इनसे फैलने वाली बीमारियों से भी आपके परिवार को बचाए रखेंगे। आईये जानते हैं इन जादुई खुशबूदार पौधों के बारे में।

जड़ी-बूटी है लेमनग्रास

लेमनग्रास एक जड़ी-बूटी है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिम्बेपोगोन साइट्रेटस है।



इसमें मौजूद नीबू की सुगंध के कारण इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक बारहमासी घास है, जो भारत और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती है। हर घर में लेमनग्रास का इस्तेमाल उसकी सुगंध की वजह से किया जाता है। इसको चाय के रूप में खूब पीते हैं। गौरतलब है कि लेमनग्रास के पौधे का इस्तेमाल खुशबू के साथ मच्छर भगाने वाली कई दवाओं में भी किया जाता है। इसकी मनमोहक और ताज़गी भरी खुशबू एक तरफ जहां तनाव दूर कर आपके मूड को फ्रेश करने का काम करती है, वहीं मच्छर इसकी खुशबू से दूर भागते हैं। तो आज ही लेमनग्रास का पौधा अपने घर की बालकनी और ड्राइंगरूम में लाकर रख दीजिए और देखिए कैसे मच्छर आपके घर में झांकने से भी डरेंगे।

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छरों की भिन-भिन भी शुरू हो जाती है और बरसात के मौसम में तो इनकी तादात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक



सबकी परेशानी का सबब बनने लगता है। इन्हें भगाने के लिए कहीं नीम की पत्तियां सुलगायी जाती हैं, कहीं हिट मारी जाती है तो कहीं मस्कीटो कौयल जलाये जाते

हैं। सरकार भी मच्छरों से शहर को निजात दिलाने के लिए तमाम उपक्रम करती है। गली-गली मच्छर मार दवा का छिड़काव या धुएं वाली गाड़ी दौड़ायी जाती है, नालियां, गड्ढे और जलभराव की जगहें साफ करवायी जाती हैं। मगर फिर भी मच्छरों का आतंक कम नहीं होता। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं।

सालों साल उगने वाला फूल है गेंदा

गेंदा तो सालों साल उगने वाला फूल है। मंदिरों-मजारों पर हर दिन लाखों टन गेंदा चढ़ाया जाता है। भारत में घर-घर में



गेंदे का पौधा लगाया जाता है। पीले रंग का यह फूल न सिर्फ आपके घर की बालकनी को खूबसूरत बनाने का काम करता है, बल्कि इसकी खुशबू मच्छरों और उड़ने वाले कीड़ों को भी आपसे दूर रखती है। मच्छरों को भगाने के लिए इस फूल की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए इसका पौधा ही काफी होता है। इसकी पत्तियों से निकलने वाली सुगंध मच्छरों को कतई पसंद नहीं होती और वह इस पौधे से दूर ही रहते हैं। घर के दरवाज़े, खिड़की,

बालकनी में गेंदे के पेड़ रखिये और मच्छरों से अपने घर को सुरक्षित बनाइए।

स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लैवेंडर

हल्के बैंगनी रंग के फूलों वाले इस पौधे का इस्तेमाल स्वास्थ्य लाभ के लिए खूब किया जाता है। चिंता को दूर करना, तनाव से छुटकारा, त्वचा समस्या और



मुंहासे का उपचार, रक्त परिसंचरण में सुधार और श्वसन समस्याओं का इलाज करने की क्षमता लैवेंडर के पौधे में है। लैवेंडर तेल का उपयोग अरोमाथेरेपी के दौरान भी किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से नींद को प्रेरित करने में मदद



पूजनीय पौधा है तुलसी

भारतीय घरों में तुलसी पूजनीय पौधा है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है। तुलसी में औषधीय गुण तो होते ही हैं, इसका पौधा हवा साफ रखने के साथ-साथ छोटे-छोटे कीड़े और मच्छर को भी आपसे दूर रखता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल आप चाय और काढ़ा बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने घर की बालकनी में सात-आठ गमलों में तुलसी के पौधे लगा कर रखें तो यह सुरक्षाकर्मी की तरह आपके घर पर पहरा देंगे और इनसे उत्पन्न सुगंध से मच्छर आपके घर के पास भी नहीं फटकेंगे।

करता है। आपको शायद ही इस बात का पता हो कि आप मच्छरों को खुद से दूर रखने के लिए जिस मस्कीटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी लैवेंडर ऑयल मिलाया जाता है। अपने घर को महकाने के साथ मच्छरों को दूर रखने के लिए घर में लैवेंडर का पौधा लगाइए। इसके फूल देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और इनकी सुगंध तरो-ताज़गी से भर देती है, मगर मच्छरों को इससे मतिली आती है।

बेस्ट है लहसुन

आपने बचपन में अपने बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा कि लहसुन खाने से खून में एक अलग तरह की महक आने लगती है, जिसे मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर आप खुद लहसुन का सेवन नहीं करना चाहते, तो अपने घर में लहसुन का एक पौधा लगा लें। सरसों के तेल में लहसुन भूनने से उठने वाला धुआं भी मच्छरों को दूर भगाता है। लहसुन का पौधा घर में लगा कर आप कई तरह से इसके फायदे उठा सकते हैं।

दुगाल के मनजीत ने दिखाई राह, गन्ने की जैविक खेती से बढ़ाई आय

गन्ने की खेती से प्रति एकड़ डेढ़ लाख की कमाई, हल्दी व सब्जियों से भी आमदनी

पटियाला ज़िले की सब डिवीज़न पातड़ां के दुगाल गांव के प्रगतिशील किसान मनजीत सिंह लंबे समय से जैविक खेती को अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बने हुए हैं। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों से दूरी बनाते हुए पहले एक एकड़ में गन्ने की जैविक खेती शुरू की, जिसे बढ़ा कर चार एकड़ तक ले गए। वह प्रति एकड़ डेढ़ लाख रुपए तक कमाते हैं। वह पूर्व सरपंच हैं। 10वीं पास हैं।

उनका कहना है कि आज के समय में बाज़ार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ मिलावटी और जहरीले हो चुके हैं, जिसके

कारण लोगों को अनेक बीमारियों ने घेर रखा है। इसी सोच के चलते उन्होंने जैविक खेती का रास्ता चुना। जैविक खेती में मेहनत जरूर ज्यादा है, लेकिन मुनाफा भी उतना ही अधिक है। गन्ने की एक एकड़ से होने वाली आमदनी गेहूं और धान की तुलना में बेहतर है। वह करीब एक दर्जन लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने गुड़ बनाने की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है।

43 वर्षीय मनजीत सिंह गन्ने की फसल के बीचों-बीच और मौसमी सब्जियों की भी बुवाई करते हैं, जिससे एक ही ज़मीन से कई फसलों का उत्पादन हो रहा है। वह खुद

गन्ने की कटाई करवाते हैं और पारंपरिक घुलाड़ से पेराई कर शुद्ध गुड़ और शक्कर तैयार कर बाज़ार में बेचते हैं। बाज़ार में बिकने वाले कई गुड़ और शक्कर में मिलावट की आशंका रहती है, जिससे लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं।

उनके पास 22 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 4 एकड़ में गन्ने की जैविक खेती करते हैं, जिससे गुड़ और शक्कर तैयार करते हैं। वह गुड़ 120 रुपए और शक्कर 150 रुपए प्रति किलोग्राम बेचते हैं। उनकी आमदनी प्रति एकड़ डेढ़ लाख रुपए है। उनके परिवार में एक भाई, दो बेटे और पत्नी हैं।

उनके अनुसार, पुराने समय में गांव-गांव

घुलाड़ चलते थे और शुद्ध गुड़-शक्कर तैयार होते थे। उस समय बीमारियां भी कम देखने को मिलती थी। उन्होंने दावा किया कि गेहूं और धान की फसल की तुलना में गन्ने की खेती ज्यादा फायदेमंद है। इसमें लागत कम और मुनाफा अधिक है। प्राकृतिक आपदाओं का असर भी गन्ने की फसल पर कम पड़ता है, जबकि गेहूं और धान में नुकसान का खतरा अधिक बना रहता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाएं, ताकि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और लोगों को शुद्ध व सुरक्षित पदार्थ मिल सकें।

रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती



परिचय : रजनीगंधा एक सजावटी या सुगंधित कंदीय पौधा है, जिसकी उत्पत्ति मैक्सिको या दक्षिण अमेरिका है। रजनीगंधा को अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे उर्दू में गुल-ए-शब्बो, अंग्रेजी और जर्मन में ट्यूबरोज आदि। इसका फूल फनल के आकार का सफेद रंग का होता है। यह एक बारहमासी एवं बहु-उपयोगी पुष्प है, जोकि व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके फूल सुगंधित होते हैं, जोकि सभी के मन को मोह लेते हैं। इसका पुष्प डंठल युक्त अथवा कटे फूल गुलदस्ता एवं पुश सज्जा के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। इसके अलावा बिना डंठल के पुष्प को गजरा एवं माला बनाने के उपयोग में लाया जाता है। इसके पुष्प से इत्र एवं सुगंधित तेल को तैयार किया जाता है, जिसकी खाड़ी देशों में अत्यधिक मांग है। आंतरिक सज्जा के लिए रजनीगंधा के पौधों को 25 सेंटीमीटर आकार वाले गमले में सफलता पूर्वक लगाया जा सकता है। इसके लिए पत्ती की खाद, बलुई दोमट मिट्टी एवं सड़ी हुई गोबर की खाद को 2:3:1 के अनुपात में मिला कर मिश्रित मिट्टी को गमलों में भर कर पौधे लगाए जा सकते हैं।

रजनीगंधा का उपयोग एवं बाजार में अवसर : रजनीगंधा के फूलों का उपयोग इत्र उद्योग के अलावा फूलों के गहने, गजरे, गुलदस्ते, शादी एवं कार्यालयों में अतिथि स्वागत समारोह में एवं कलात्मक हार इत्यादि के तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग एरोमा थैरेपी में किया जाता है। रजनीगंधा की खेती वर्ष भर में फूल और सुगंध उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। पुष्प व्यवसाय में इसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इसकी इकहरी तथा दुहरी किस्मों को समान रूप से प्रयोग किया जाता है। इसकी गुणवत्ता, मौसम तथा उपलब्धता के अनुसार 15 रुपए प्रति स्पाइक की दर से विक्रेताओं द्वारा बाजार में बेची जाती है।

जलवायु एवं मृदा : रजनीगंधा एक शीतोष्ण एवं ऊष्ण कटिबन्धीय पौधा है, परन्तु औसत जलवायु में पूरे वर्ष भर खेती की जा सकती है। इसके पौधों की

गुणवत्ता युक्त पैदावार के लिए खुली और तेज धूप वाले स्थान का चयन किया जाना अति आवश्यक है तात्पर्य यह है कि रजनीगंधा की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्रता वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती करने के लिए 20 से 30 डिग्री सैल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में यह मार्च से दिसम्बर तक उगाया जाता है, लेकिन अगस्त से सितम्बर के मध्य बहुतायत फूल खिलते हैं। पुष्प क्रिया के पश्चात् कंद सुसुक्तावस्था में चले जाते हैं। इसको व्यावसायिक रूप से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है। लगभग 80 से 90 दिनों पश्चात् इसमें पुष्प आने लगते हैं।

रजनीगंधा की खेती के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे रेतीली दोमट से चिकनी दोमट तथा जिसका पी.एच. मान 6.5 से 7.5 के साथ-साथ अच्छे जल निकास वाली मिट्टी आदर्श मानी जाती है।

भूमि की तैयारी : रजनीगंधा की व्यावसायिक खेती करने के लिए खेत को अच्छी तरह गहरी जुताई करने के बाद 10 से 15 दिन तक सूर्य की तेज धूप में छोड़ दें ताकि मिट्टी में पहले से मौजूद कीट-पतंगे एवं भूमि जनित रोगाणु नष्ट हो जाएं। उसके बाद पौधे लगाने के एक माह पहले सभी खरपतवार अच्छी तरह निकाल कर दूसरी जुताई के साथ ही 50 से 60 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें, जिससे गुणवत्ता युक्त पुष्प एवं बल्ब का निर्माण हो सके।

फसल रोपण पद्धति : रजनीगंधा के कंदों की बुवाई के लिए स्वस्थ एवं ताजे 2 सेंटीमीटर के व्यास के आकार या उससे बड़े कंद का प्रयोग करना चाहिए। कंदों के रोपण का उपयुक्त समय मार्च से मई माह के मध्य होता है। साल भर फूल प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किसान भाई हर 15 दिन के अंतराल पर कंद का रोपण करें। कंदों की बुवाई 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई में करनी चाहिए। इसकी बुवाई करते समय

कतार से कतार की दूरी 25-30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर पर करें। रोपण करते समय भूमि में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसके लिए कंद की बुवाई के बाद धान के पुवाल से खेत को ढक दें और अंकुरण होने पर पुवाल को हटा दें। इस विधि से खेत में नमी बरकरार रहती है।

बीज की मात्रा : एक हैक्टेयर भूमि के लिए लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम रजनीगंधा के बीज की आवश्यकता होती है।

खाद तथा उर्वरक : रजनीगंधा अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाला पौधा है। इसमें अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों खाद मिलाकर प्रयोग करने से पुष्प एवं कंदों की उपज में व्यापक असर होता है। इसलिए गोबर की सड़ी हुई खाद को 10-12 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में एक समान मात्रा में बिखेर देना चाहिए। इसके अलावा 70 से 75 किलोग्राम नत्रजन, 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 35 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान दें कि कम्पोस्ट खाद, पोटाश एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा कंद रोपण के समय तथा नत्रजन को तीन बराबर मात्रा में बांट कर एक भाग रोपाई से पहले भूमि में प्रयोग करें। इसके बाद दूसरी बार लगभग 55 से 60 दिन बाद तथा तीसरी बार नत्रजन का प्रयोग पौधों में फूल आने पर करना चाहिए।

सिंचाई : रजनीगंधा की खेती करने के लिए सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बरकरार रहे। खेत की सिंचाई मौसम की दशा, फसल की वृद्धि एवं भूमि के प्रकार को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में सप्ताह में एक बार तथा ठंड के दिनों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर 1 सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाई इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कंदों के रोपण के पश्चात् जब आंखे बनाने लगे तब खेत में सिंचाई ना करें।

खरपतवार नियंत्रण : खरपतवार हमारे फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता को घटा देती है, इसलिए अच्छी फसल के लिए महीने में एक बार निराई-गुड़ाई खुरपी की मदद से कर देनी चाहिए। इससे रजनीगंधा के पुष्प एवं कंदों का उच्च विकास होने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

प्रजाति : रजनीगंधा के पौधों के रंग एवं फूल के प्रकार के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है।

सिंगल प्रजाति : इस प्रकार

की किस्म में पंखुड़ियों की केवल एक ही कतार होती है और इसका रंग सफेद होता है। जैसे कलकत्ता सिंगल, मेक्सिकन सिंगल, मेक्सिकन एयर ब्लूमिंग, हैदराबाद सिंगल, अर्का निरंतर एवं पुणे सिंगल आदि।

डबल प्रजाति : इस प्रकार की किस्म के फूल की पंखुड़ियां दो कतार में होती हैं तथा इसके फूल का रंग सफेद होता है। इसे कलकत्ता डबल के नाम से भी जाना जाता है। इस फूल का ऊपरी सिरा हल्का गुलाबी रंग का होता है। जैसे सुवासिनी, वैभव, स्वर्ण रेखा, कलकत्ता डबल, हैदराबाद डबल एवं पर्ल डबल आदि।

अर्ध डबल प्रजाति : इस प्रकार की किस्म के फूल की पंखुड़ियां कम संख्या में होती हैं, यानि 4 से 5 ही होती हैं। इस



किस्म को स्वर्ण लता और रजत रेखा भी कहते हैं। यह अपने आकर्षक रंग और विविधता के कारण बहुत लोकप्रिय है।

रोग एवं कीट प्रबंधन : रजनीगंधा की फसल रोग मुक्त प्राप्त करने के लिए कंदों को रोपण से पहले 0.25 प्रतिशत कैप्टान (फफूंदीनाशक) के घोल में डुबो कर रखने के पश्चात् बुवाई करने पर कवक जनित रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। रजनीगंधा में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग तथा कीट निम्नलिखित हैं :

*** तना सड़न रोग :** यह मिट्टी जनित रोग है, इसमें पत्तियों पर हरे रंग का दाग होकर सड़ने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत को घोल बना कर पौधों की जड़ों के पास देना चाहिए।

*** कली सड़न रोग :** यह रोग फफूंद के कारण होता है। इसमें कलियां भूरी होकर सूखने लगती हैं। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

*** माहू या थ्रिप्स :** यह कीट फूलों, पत्तियों तथा डंठलों

का रस चूस कर पौधों को कमजोर कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें।

*** निमेटोड :** यह कीट कंदों तथा जड़ों को खा कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूथुरॉन या थीमेट दवा का 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए।

फूलों की कटाई : रजनीगंधा के पौधों से 3-4 महीने में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि यदि लूज फूलों की जरूरत हो तो फूलों को तभी तोड़ें, जब वह पूरी तरह खिल चुके हों तथा कट फूलों के लिए उस समय काटना चाहिए, जब नीचे के एक-दो फूल पूरी तरह खिल गए हों। फूलों के काटने का उचित समय प्रातः काल या शाम को सिकेटियर की सहायता से पौधों के ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी से काटना चाहिए तथा शीघ्र बाद उन्हें पानी में डाल कर रखना चाहिए।

फूल उपज : रजनीगंधा की खेती से हमें प्रति वर्ष बढ़ कर

उपज प्राप्त होती है, जैसे पहले वर्ष उपज 120 से 200 क्विंटल प्रति हैक्टेयर, जबकि दूसरे वर्ष 200 से 250 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक होती है। इसके बाद पैदावार घट जाती है। इसके अलावा 15 से 20 टन कंद प्रति हैक्टेयर की प्राप्ति होती है, जिससे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

कंदों को निकालना : फूलों की कटाई के बाद जब पौधों की पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तब पत्तियों को काट कर कंदों की सावधानी पूर्वक खुदाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद कंदों को 2 ग्राम कार्बेन्डाजिम दवा का प्रति लीटर पानी का घोल बना कर 25 से 30 मिनट तक उपचार कर संरक्षित करना चाहिए।

फूलों का संरक्षण और फूलदान जीवन : रजनीगंधा के कट फूलों तथा लूज फूलों को 10 डिग्री सैल्सियस तापमान पर 3-4 दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है। रजनीगंधा को कट-फूलों के रूप में प्रयोग करने के लिए लगभग 15 से 17 दिन तक संरक्षित और ताजा रखने के लिए स्पाइक को 4 प्रतिशत सुक्रोज तथा 200 मिलीग्राम हाईड्रोक्विनाल सल्फेट के घोल में रखा जा सकता है।

नई खुशी, नई उमंग का त्यौहार है बैसाखी। दशम सिख गुरु गोविन्द सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करने की याद में मनाया जाने वाला बैसाखी पर्व दरअसल एक लोक त्यौहार है, जिसमें फसल कटने का उल्लास व्यापक स्तर पर होता है। तमाम लोग इसे अपने-अपने स्तर से जोड़ते हैं। सिख पंथ के प्रथम गुरु बाबा नानक देव ने बैसाख माह की आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से काफी प्रशंसा की है। लोकजीवन में बैसाखी नई फसल आने का भी त्यौहार है। नई फसल आने के साथ ही ग्रामीण जीवन में समृद्धि आ जाती है और लोग सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम शुरू होने की खुशी में इस त्यौहार को पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना जिसमें गुरु गोविन्द सिंह जी ने सभी जातियों के लोगों को एक ही अमृत-पात्र से अमृत छका कर पांच प्यारे सजाए। ये पांच प्यारे किसी एक जाति या स्थान के नहीं थे, वरन अलग-अलग जाति, कुल व स्थानों के थे, जिन्हें अमृत छकाकर इनके नाम के साथ सिंह शब्द लगा। अहंकारी एकदम सूक्ष्म अहंकार के शिकार हो जाते हैं। ज्ञानी, ध्यानी, गुरु, त्यागी या सन्यासी होने का अहंकार कहीं ज्यादा प्रबल हो जाता है।

यह बात गुरु गोविन्द सिंह जी जानते थे, इसलिये उन्होंने न केवल अपहने गुरुत्व को त्याग गुरु गद्दी गुरु ग्रन्थ साहिब को सौंपी बल्कि व्यक्ति पूजा को ही निशिद्ध कर दिया। बैसाखी पर्व नववर्ष का आगमन है। खुशहाली, हरियाली और अपने देश की समृद्धि की कामना करते हुए पंजाबी समुदाय के लोग पूजा-अर्चना, दान-पुण्य एवं दीप जलाकर बैसाखी पर ढोलों की ताल पर गिद्दा और भंगड़ा, नाच-गाकर यह पर्व मनाते हैं। पुरातन काल से ही हमारे देश की उन्नति का आधार कृषि रहा है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में पंजाब का उल्लेख जरूरी है, जहां बहने वाली पांच नदियां जो पंजाब की जीवन रेखाएं होकर ममतामयी मां की तरह अपना आंचल फैला रही हैं। उस पंजाब में कृषि की प्रधानता होने के नाते वैशाख



माह का महत्व अपने आप बढ़ जाता है और बैसाखी उसी नववर्ष के आगमन और खुशियों का महत्व है। वहीं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना, महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत् का शुभारंभ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का राज्यभिषेक, नवरात्रों का आरंभ, सिंध प्रांत के समाज रक्षक वरूणावतार संत झुलेलाल का जन्म दिवस, महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना, धर्मराज युधिष्ठिर का राजतिलक, महावीर जयंती आदि

बैसाखी

नई खुशी, नई उमंग का त्यौहार



बैसाखी पर्व नववर्ष का आगमन है। खुशहाली, हरियाली और अपने देश की समृद्धि की कामना करते हुए पंजाबी समुदाय के लोग पूजा-अर्चना, दान-पुण्य एवं दीप जलाकर बैसाखी पर ढोलों की ताल पर गिद्दा वे भंगड़ा, नाच-गाकर यह पर्व मनाते हैं।

अनेक गौरवपूर्ण इतिहास वैशाख माह से जुड़ा है।

सिख पंथ की स्थापना

वैशाख माह का अपना एक महत्व है। इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इतिहास की दृष्टि से 13 अप्रैल 1699 में सिख पंथ की स्थापना हुई थी। सिक्खों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म इसी माह में हुआ था। इस दिन सिख गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। खेत में खड़ी फसल पर हर्षोल्लास

गोविन्द सिंह जी का मुख्य लक्ष्य लोगों को तत्कालीन मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त कर उनके धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना था।

पर्व एक महत्व अनेक

देश के अनेक राज्यों में 13 एवं 14 अप्रैल का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है।

पंजाब की बैसाखी

पंजाब में सैकड़ों वर्ष से हर वर्ष 13 अप्रैल को नए साल की शुरुआत होती है। खालसा संवत् बैसाखी से शुरू होता है और वैशाख माह पंजाब के कृषकों के लिये खुशहाली का प्रतीक है। बैसाखी पर ही किसान अपनी फसल की कटाई करता है तथा धार्मिक रूप से आस-पास की पावन नदियों, तालाबों पर पवित्र स्नान कर पूजा-अर्चना करता है और नए वस्त्र धारण करता है। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियावाला बाग में अंग्रेज जनरल डायर द्वारा क्रूरतापूर्ण सैकड़ों लोगों को गोलियों का निशाना बनाकर मार दिया गया था, तभी से उन अमर शहीदों को बैसाखी के दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत में महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा युवा पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को बैसाखी कहते हैं। इस प्रकार वैशाख मास में प्रथम दिन को बैसाखी कहा गया और पर्व के रूप में स्वीकार किया गया। बैसाखी के दिन ही सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, अतः इसे मेष संक्रांति भी

कहते हैं।

बंगालियों का शुभो नौबो बोरसो

बंगाल का नया वर्ष वैशाख महीने के पहले दिन 14 अप्रैल से शुरू होता है। बंगाल में इस दिन से ही फसल की कटाई शुरू होती है। बंगाली इस दिन नया काम करना शुभ मानते हैं। महिलाएं नए धान के पकवान बनाती हैं।

मलयाली न्यू ईयर विशु

मलयाली न्यू ईयर विशु वैशाख की 13-14 अप्रैल से ही शुरू होता है। केरल में इस दिन धान की बोवनी शुरू होती है। इस दिन हल और बैलों को रंगोली से सजाया जाता है। पूजा-अर्चना की जाती है और बच्चों को उपहार दिए जाते हैं।

तमिल में पुथांदू

तमिल के लोग 13 अप्रैल से नया साल पुथांदू मनाते हैं। असम में लोग 13 अप्रैल को नया वर्ष बिहू मनाते हैं।

कश्मीर में नवरेह

सप्तऋषि के अनुसार नवरेह नाम से इसे नववर्ष के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है।

आंध्रप्रदेश में उगादि

कृषकों के लिये इसका विशेष महत्व है। इसे उगादि तिथि अर्थात् युग के आरंभ के रूप में मनाया जाता है।

महाराष्ट्र और दक्षिण

इन राज्यों में इसे अलग-अलग कारण से मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और समय ने आज से चलना प्रारंभ किया था। यह श्रीखंड और पूड़ी का भी त्यौहार है। महिलाओं एवं बच्चों को उपहार दिए जाते हैं। वहीं गरीबों को भोजन एवं दान दिया जाता है और घरों में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं।

पंजाब के अतिरिक्त उत्तरी भारत में गढ़मुक्ते वर व हरिद्वार स्थानों पर गंगा तट पर बैसाखी के मेले लगते हैं। बैसाखी के दिन ही भागरीथ गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। प्राचीन समय में रावी के तट पर बैसाखी का मेला लगता आ रहा है। बौद्ध धर्म का भी बैसाखी से संबंध है। बैसाखी के दिन ही लगभग 2000 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा इसी दिन बौद्ध संघ स्थापित हुआ था। आर्य समाजियों में बैसाखी का महत्व इसलिये है कि क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम इस दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाब में शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। सुबह चार बजे गुरु ग्रंथ साहिब को समारोहपूर्वक कक्ष से बाहर लाया जाता है। दूध एवं जल से प्रतीकात्मक स्नान करवाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त पर बैठाया जाता है। इसके बाद पांच प्यारे पंचवानी गाते हैं। दिन में अरदास के बाद गुरु का कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्रसाद के बाद लोग गुरु लंगर में शामिल होते हैं। श्रद्धालु इस दिन कारसेवा करते हैं। दिन भर गुरु गोविन्द सिंह और पांच प्यारों के सम्मान में शब्द और कीर्तन गाए जाते हैं।

डॉ. अशोक सिंह

डॉ. रविन्द्र सिंह राणा,
प्रमुख वैज्ञानिक (कृषि
अभियांत्रिकी) चौ.स.कु. हिमाचल
प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर (हि.प्र.)-176062



2-10 लीटर पानी पौधे को देता है। जिससे पौधे की प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। एमिटर को ढीला करने से या कसने से पानी की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो इस प्रणाली के सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, किंतु एमिटर (ड्रिपर) अति महत्वपूर्ण तथा सिस्टम का हृदय कहलाता है। आजकल सब्जियों के लिए एक विशेष प्रकार का सुधरा हुआ ड्रिप-इन-ड्रिप सिस्टम आ गया है। जिसमें ड्रिपर या एमिटर नहीं लगे होते हैं और इनकी जगह लेटरल लाईन में ही उचित दूरी पर विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं। जिससे पानी बूंद-बूंद कर के पौधे के पास गिरता है।

सिंचाई की यह पद्धति एकदम सरल है। इस विधि में डिलीवरी पाईप लाईन जी.आई. पाईप की बनी होती है। मुख्य पाईन लाईन पी.वी.सी. पाईप की बनी होती है तथा लेटरल पाईप लाईन एवं माईक्रो ट्यूब (पतली नलिकाएं) घनत्व वाली पॉलीथीन (एच.डी.पी.ई.) की बनी होती है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग :- ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग पानी की कमी वाले क्षेत्रों, शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों, ऊबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी की फसलों जैसे-अंगूर, आनार, नींबू, केला, अमरुद, लीची, आम तथा सेब आदि में किया जाता है। इस विधि का उपयोग कतार में उगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास आदि नकदी फसलों में किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग ग्रीन-हाऊस में फूल और सब्जी पैदा करने के लिए भी हो रहा है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली की बनावट एवं कार्य विधि :- सिंचाई की इस प्रणाली में एक डीजल इंजन (या विद्युत मोटर), एक सीलड सेंट्रफ्यूगल पंप, डिलीवरी पाईप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, सैंड फिल्टर, मुख्य लाईन, लेटरल लाईन, एमिटर या ड्रिपर्स लगे रहते हैं। डीजल इंजन तथा पंप कुएं में से पानी उठाने के काम आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप से पानी डिलीवरी पाईप में, डिलीवरी पाईप से मेन लाईन में, मेन लाईन से लेटरल लाईन में, लेटरल लाईन से एमिटर या ड्रिपर ओरिफिस में और अंत में ड्रिपर से होता हुआ पौधे की जड़ में पहुंचता है।

पाईन लाईन के मध्य में पानी को रोकने तथा शुरू करने के लिए बाईपास वाल्व, पानी का दबाव नापने के लिए प्रेशर गेज, पानी को छानने के लिए सैंड फिल्टर, पानी को बाहर निकालने के लिए तथा पाईप के सफाई के लिए वाल्व लगे रहते हैं। फसल में आवश्यकता अनुसार खाद तथा दवाई देने के लिए खाद का एक टैंक पानी की मेन लाईन के समान्तर लगा होता है। एक एमिटर प्रतिदिन

2-10 लीटर पानी पौधे को देता है। जिससे पौधे की प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। एमिटर को ढीला करने से या कसने से पानी की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो इस प्रणाली के सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, किंतु एमिटर (ड्रिपर) अति महत्वपूर्ण तथा सिस्टम का हृदय कहलाता है। आजकल सब्जियों के लिए एक विशेष प्रकार का सुधरा हुआ ड्रिप-इन-ड्रिप सिस्टम आ गया है। जिसमें ड्रिपर या एमिटर नहीं लगे होते हैं और इनकी जगह लेटरल लाईन में ही उचित दूरी पर विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं। जिससे पानी बूंद-बूंद कर के पौधे के पास गिरता है।

सिंचाई की यह पद्धति एकदम सरल है। इस विधि में डिलीवरी पाईप लाईन जी.आई. पाईप की बनी होती है। मुख्य पाईन लाईन पी.वी.सी. पाईप की बनी होती है तथा लेटरल पाईप लाईन एवं माईक्रो ट्यूब (पतली नलिकाएं) घनत्व वाली पॉलीथीन (एच.डी.पी.ई.) की बनी होती है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अभिकल्प (डिजाइन) :- ड्रिप सिंचाई प्रणाली की अभिकल्पना के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित का उचित चयन किया जाता है:

1. मुख्य लाईन तथा लेटरल लाईनों का व्यास एवं लंबाई।

2. सिंचाई समय एवं पंपिंग सैट का चयन।

3. ड्रिप की प्रति पौधा संख्या एवं निस्सर्ण (डिस्चार्ज) दर।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पंप द्वारा पानी को स्रोत से उठाकर मेन (मुख्य) तथा लेटरल (शाखा) लाईनों में उचित दबाव पर भेजा जाता है, जो कि ड्रिपरों में से होते हुए बूंद-बूंद करके पौधों की जड़ों के पास गिरता है। इस प्रणाली में मेन लाईन मुख्यतः पौधों की पंक्तियों के लम्बवत् बिछाई जाती है। मुख्यतः मेन लाईन का व्यास 2.5-7.5 सेंटीमीटर होता है। मेन लाईन के ऊपर तथा निचले सिरों में दबाव का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ड्रिप लेटरल लाईन पौधों की पंक्तियों के साथ-साथ बिछाई जाती है। लेटरल लाईन 12 मिलीमीटर तथा 16 मिलीमीटर के व्यास में उपलब्ध होती है किंतु अधिकतर 16 मिलीमीटर व्यास की लेटरल लाईन का ही प्रयोग किया जाता है। लेटरल लाईनों में पानी का दबाव ड्रिपर के आधार पर 0.2 से 1.75 किलोग्राम प्रति वर्ग सें.मी. तक हो सकता है। मुख्यतः लेटरल की लंबाई खेत की सीमा

ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग पानी की कमी वाले क्षेत्रों, शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों, ऊबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी की फसलों जैसे – अंगूर, आनार, नींबू, केला, अमरुद, लीची, आम तथा सेब आदि में किया जाता है। इस विधि का उपयोग कतार में उगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास आदि नकदी फसलों में किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग ग्रीन-हाऊस में फूल और सब्जी पैदा करने के लिए भी हो रहा है।

ओर पौधों की पंक्तियों की लंबाई पर निर्भर करती है। लेटरल लाईन के ऊपर तथा निचले सिरों में दबाव का अंतर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेटरल लाईनों को मेन लाईन के साथ एडाप्टर द्वारा जोड़ा जाता है।

ड्रिपर, लेटरल लाईनों पर पौधों के पास-पास चारों ओर लगाए जाते हैं। ड्रिपरों से पानी निस्सर्ण की दर 2-14 लीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेटरल की लंबाई में लगे ड्रिपरों की निस्सर्ण दर का अंतर 20 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लाभ :- 1. इस विधि के द्वारा सामान्य सिंचाई विधियों (धरातलीय सिंचाई विधि) की अपेक्षा 30-80 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। इस के अतिरिक्त जल से 1.5-2 गुणा क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। इस पद्धति में पानी का नुकसान न के बराबर होता है, क्योंकि इसमें रिसाव, अपवाह एवं वाष्पकीरण द्वारा जल का नुकसान नहीं होता है।

2. इस पद्धति द्वारा पौधों की जड़ों में आवश्यकतानुसार पानी पूर्व निर्धारित दर पर दिया जाता है। परिणामतः पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और पैदावार में 20-70 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस पद्धति के तहत उत्पन्न फसल की गुणवत्ता भी अति उत्तम होती है।

3. इस प्रणाली द्वारा पानी की पूर्व निर्धारित दर, भूमि संरचना, पौधों व फसलों के प्रकार, पौधों के बीच का अंतर, तापमान, जलवायु तथा पानी आदि को ध्यान में रखकर क्षेत्र विशेष में प्रदान की जा सकती है।

4. इस विधि द्वारा ऊबड़-खाबड़ भूमि में सिंचाई आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसमें भूमि समतलीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे भूमि समतल एवं भूमि विकास पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।

5. रेतीली भूमि में फसलों

की सिंचाई के लिए अत्यधिक उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है।

6. यह प्रणाली उन क्षेत्रों के लिए लाभदायक है जिन इलाकों में सिंचाई की लागत अधिक पड़ती है। इस प्रणाली में बहाव सिंचाई की तुलना में मजदूरों की आवश्यकता काफी कम होती है।

7. इस विधि द्वारा सिंचाई करने पर घास तथा खरपतवार कम उगते हैं, क्योंकि पानी केवल पौधों की जड़ में ही दिया जाता है। अन्य स्थानों पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाता है। अतः खरपतवार नियंत्रण सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इस विधि द्वारा सिंचित भूमि में निराई-गुड़ाई में आने वाली लागत विभिन्न बहाव सिंचाई विधियों की अपेक्षा 50 प्रतिशत तक कम होती है।

8. ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा महंगे रासायनिक उर्वरक व अन्य रसायनों का प्रयोग पौधों की जड़ों में वांछित गहराई तक किया जा सकता है। परम्परागत विधि की तुलना में ड्रिप द्वारा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने पर 50 प्रतिशत तक की बचत होती है।

9. इस विधि में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस विधि के प्रयोग से डीजल/विद्युत की 60 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है, जो कि आज के युग की आवश्यकता है।

10. सिंचाई के लिए नालियां एवं मेंड इत्यादि बनाने की जरूरत नहीं होती है जिससे कि अधिक भूमि कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाती है।

11. ग्रीनहाऊस एवं पॉलीहाऊस में ड्रिप सिंचाई का उपयोग सुगमतापूर्वक किया जा सकता है।

12. इस विधि द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ढालू भूमि पर भी सिंचाई की जा सकती है। जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में फल एवं सब्जियां आसानी से उगाई जा सकती हैं।

13. इस प्रणाली से शुल्क

क्षेत्रों में भी खारे पानी का उपयोग उचित ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि इस पद्धति से पानी में घुले लवण पौधे के सक्रिया मूल क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं व फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि धरातलीय सिंचाई प्रणाली से खारे पानी का प्रयोग करने पर लवण सतह में ऊपर रह जाते हैं जिससे उपज कम होती है।

14. पौधों में सिंचाई जल का धीमा किन्तु सतत प्रयोग किया जा सकता है। अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र की सिंचाई एक ही समय में तथा समरूपता से की जा सकती है, जबकि बहाव विधि में ऐसा संभव नहीं है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली की देखभाल :-

1. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपकरण एवं पंप सैट मोटर का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रमाणित गुणवत्ता के आधार पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली लंबे समय तक बिना किसी रूकावट के अच्छी सेवाये प्रदान करती रहेगी।

2. यदि पानी में सिल्ट एवं रेत कण अधिक हों तो जालीदार फिल्टर के साथ-साथ सैंड फिल्टर का प्रयोग भी अवश्य करें।

3. समय-समय पर फिल्टरों की सफाई एवं धुलाई अवश्य करें।

4. मेन लाईन तथा सभी लेटरल लाईनों को साल में कम से कम 2 बार साफ करें।

5. योजनाबद्ध तरीके से समय-समय पर संपूर्ण खेत का निरीक्षण करें तथा बंद पड़े हुए ड्रिपरों को खोलने रहें ताकि सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकें।

6. बंद पड़े हुए ड्रिपरों को खोलने के लिए आवश्यकता अनुसार रासायनिक जल से उपचार करें।

समस्याएं एवं सुझाव :-

1. यह पद्धति बहुत महंगी है जिससे साधारण किसान इसे अपना नहीं सकता। इसके लिए राज्य एवं केंद्र सरकार ने कुछ अनुदान राशि शुरू की है, जो कि प्रत्येक स्थान पर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों को ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवानी चाहिए।

2. किसानों में इस प्रणाली के बारे में तकनीकी जानकारी का अभाव है जिससे किसान गोष्ठियां एवं विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाकर दूर किया जा सकता है।

3. समय पर स्थानीय बाजारों में अतिरिक्त पुर्जों का अनुदान मूल्य पर उपलब्ध न होना। निजी कंपनियों को चाहिए कि वे अतिरिक्त पुर्जे एवं संतोषजनक सेवा बिक्री उपरंत समय पर उपलब्ध करवाएं।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थाना हेतु अनुदान :- विभिन्न राज्य

सरकारों द्वारा इस पद्धति को बढ़ाना देने के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुदान (सब्सिडी) की भी व्यवस्था की गई है। यह स्कीम कृषि/उद्यान विभाग से संबंधित है। अतः अनुदार से अधिक जानकारी के लिए जिले के कृषि/उद्यान (बागवानी) अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उपभोक्तावादी संस्कृति से हो परहेज

सेहत-पर्यावरण को लील रहे कचरे के ढेर

डॉ. रितु सरस्वत

हमें अपने उपभोग के स्वरूप और जीवनशैली पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है। भोगवादी आर्थिक मॉडल में निर्मित अधिकांश वस्तुएं अंततः कचरे में बदलती हैं। तेजी से बढ़ता कचरे का संकट निकट भविष्य में पर्यावरण, सेहत और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की ताजा रिपोर्ट संकेत करती है कि दुनिया तेजी से कचरे के ऐसे संकट की ओर बढ़ रही है, जो आने वाले दशकों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। वर्ष 2022 में दुनिया में लगभग 2.6 अरब टन कचरा उत्पन्न हुआ, जो 2050 तक बढ़कर 3.9 अरब टन तक पहुंचने की आशंका है। इसी क्रम में यूएनईपी की 'फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट' बताती है कि हर वर्ष लगभग 1 अरब टन भोजन बर्बाद होता है, जिसका लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा घरों से आता है। यह स्थिति संसाधनों की भारी बर्बादी व समाज की उपभोग-प्रधान मानसिकता उजागर करती है। कचरे के बढ़ते ढेर केवल अस्वच्छता का प्रतीक नहीं, बल्कि वे पर्यावरण के लिए गंभीर वैज्ञानिक खतरा उत्पन्न करते हैं। विश्व बैंक की 'क्वाट अ वेस्ट' रिपोर्ट और यूएनईपी की 'ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक' रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि लैंडफिल में

जमे जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। यह ग्रीनहाउस गैस वैश्विक तापवृद्धि तेज करती है। इसके अलावा, कचरे के अनुचित निपटान से मिट्टी और भूजल प्रदूषित होते हैं, जिससे कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, खुले में कचरा जलाने से निकलने वाली विषैली गैसें और सूक्ष्म कण गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। प्लास्टिक कचरे के विघटन से उत्पन्न सूक्ष्म कण जल स्रोतों में मिलकर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं, जो मानव जीवन के लिए खतरा बनते हैं। अहम प्रश्न है कि कचरे के ढेर आखिर किन कारणों से निरंतर बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति में निहित है, जो निरंतर अधिक से अधिक उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है। समाजशास्त्री जिग्मुंट बॉमन के अनुसार, आधुनिक समाज एक 'उपभोक्ता समाज' में परिवर्तित हो चुका है, जहां वस्तुओं का निर्माण दीर्घकालिक उपयोग के लिए नहीं, बल्कि शीघ्र त्याग के लिए किया जाता है। यूएनईपी की 'ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024' रिपोर्ट स्पष्ट करती

है कि वर्तमान 'उत्पादन उपभोग त्याग' आधारित अर्थव्यवस्था में निर्मित अधिकांश वस्तुएं अंततः कचरे में बदल जाती हैं। यदि यह मॉडल जारी रहा, तो कचरे की मात्रा और उससे जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव लगातार बढ़ते जाएंगे। विश्व बैंक की 'क्वाट अ वेस्ट' रिपोर्ट यह संकेत देती है कि आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ते उपभोग के साथ कचरे की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि होती है। इसी प्रकार, यूएनईपी रेखांकित करता है कि वर्तमान अस्थिर उपभोग और उत्पादन की प्रवृत्तियां कचरे के बढ़ते संकट का प्रमुख कारण हैं। 'ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक' रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि टिकाऊ समाधान के रूप में पुनः उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण जैसी प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है।

जहां पारंपरिक समाजों में वस्तुओं का उपयोग अधिक टिकाऊ और पुनः उपयोग पर आधारित था, वहीं आधुनिक उपभोग-प्रधान जीवनशैली ने इस संतुलन को

समाप्त कर दिया। विश्व स्तर पर सीमित और सजग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कई संगठित प्रयास किए गए हैं। 'जीरो वेस्ट' आंदोलन, जिसे 21वीं सदी के प्रारंभ में संस्थागत रूप मिला, इस विचार को स्थापित करता है कि कचरे को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है। वहीं, वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ 'प्लास्टिक फ्री जुलाई' अभियान आज वैश्विक स्तर पर लोगों को सिंगल-यूज प्लास्टिक से दूरी बनाने को प्रेरित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 में 'इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे' की घोषणा दर्शाती है कि यह विषय अब वैश्विक प्राथमिकता है। इन आंदोलनों ने इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन केवल आंदोलनों के जरिये इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हमें अपनी जीवनशैली और उपभोग के तरीकों में परिवर्तन लाना होगा।

वास्तव में, यह समस्या बाहर से अधिक भीतर से जुड़ी हुई है। हम कैसे जीते हैं, क्या खरीदते हैं और कितना त्याग करते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम ऐसे

जीवन मूल्यों को अपनाएं, जो संतुलन और संयम पर आधारित हों। समझना होगा कि अत्यधिक उपभोग केवल तात्कालिक सुविधा प्रदान करता है, जबकि दीर्घकाल में यह पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों के क्षय का कारण बनता है। जापान जैसे देश यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सादगी, अनुशासन और संतुलित जीवनशैली भी एक समृद्ध और सम्मानित समाज की पहचान हो सकती है। जापानी जीवनशैली का न्यूनतावादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण दिशा प्रस्तुत करता है। मैरी कौंडो की पुस्तक 'द लाइफ-चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप' के मुताबिक, व्यक्ति को केवल उन्ही वस्तुओं को पास रखना चाहिए, जो वास्तव में आवश्यक हों। यह दृष्टिकोण अनावश्यक संग्रह की प्रवृत्ति को सीमित कर कचरे की समस्या को कम करने में सहायक होगा।

1980 में प्रकाशित विलियम आर. कैटन की पुस्तक 'ओवरशूट : द इकोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज' चेताती है कि मानव समाज पृथ्वी की वहन क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग कर रहा है। इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया, तो यह भविष्य में गंभीर पारिस्थितिक संकट का कारण बनेगी। यह चेतावनी केवल भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि एक संभावित वास्तविकता की ओर संकेत करती है।

शेष पृष्ठ 3 की कच्ची पर्ची पर रोक, मंडियों में बिचौलिए/आढ़तीयों के शोषण के खिलाफ...

गई व्यवस्थाएं ही उनके विरुद्ध कार्य करने लगीं। एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली ऐसी प्रणाली में परिवर्तित हो गई जहां कीमते व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा साज-बाज द्वारा तय की जाने लगी और दशकों से कई संरचनात्मक विकृतियां संचित होती रही।

भारत की कृषि को खंडित और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कई बिचौलिए शामिल हैं, साथ ही प्रतिबंधात्मक घरेलू विपणन नीतियां और सीमा संबंधी उपाय भी हैं, जिनके कारण समीक्षाधीन अवधि के अधिकांश समय में कीमते औसतन अंतरराष्ट्रीय बाजार स्तर से नीचे रही हैं। इसके साथ ही, कई वस्तुओं में अंतिम उपभोक्ता मूल्य में किसानों का हिस्सा बेहद कम बना हुआ है, जो फसल और बाजार के आधार पर 28% से 78% के बीच है।

हालांकि सीएसीपी ने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश की थी, लेकिन प्रभावी खरीद मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से चावल और गेहूं के लिए ही संचालित होती थी। जो धान की कुल बिक्री का केवल एक चौथाई और गेहूं का 20 प्रतिशत ही एम.एस.पी. पर बेचा गया, जिससे पता चलता है कि दशकों की नीति के बावजूद, अधिकांश किसान गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। दालों या तिलहन की खेती करने वाले

किसानों के लिए, एमएसपी अक्सर एक घोषणा मात्र रह जाती थी, जिसके पीछे कोई खरीद तंत्र नहीं होता था - कागज पर तो मूल्य आश्वासन मिलता था, लेकिन व्यवहार में इसका कोई खास लाभ नहीं होता था।

खाद्यान्न जांच समिति की



सिफारिशों के बाद, सरकार ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध में खाद्यान्नों में सरकारी व्यापार भी शुरू किया। इसके तहत सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल जैसी प्रमुख वस्तुओं की पूर्व निर्धारित कीमतों पर खरीद की। 1961 में पंजाब राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम पारित हुआ, जिसकी नियमावली पंजाब राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम रूल्स -1962 के अन्तर्गत लागू की गई। जो कुछ संशोधन के साधन, वर्तमान में हरियाणा और पंजाब राज्यों पर समान रूप से लागू है।

इस अधिनियम की

सेक्शन-43, रूल 24 (11,12 और 14) के अनुसार आढ़तीयों को कृषि उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद किसानों को भुगतान और जे-फार्म जारी करना कानूनन अनिवार्य है। लेकिन दूर्भाग्य से मंडीयों में पिछले 5 दशक से सरकारी भ्रष्टाचार के घोल-मेल से आढ़ती इन नियमों

फसल बेचने वाले किसानों को औसत 30,000 रुपये वार्षिक का आर्थिक नुकसान होता है आढ़तीयों द्वारा किए जा रहे इस शोषण की वजह से हरियाणा और पंजाब का किसान गरीब और कर्जबंद है।

हरियाणा की कृषि उपज मंडीयों में दशकों से चल रही,

पर्ची व्यवस्था तुरंत बन्द करने और कृषि उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद कानूनन जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने के आदेश जारी किए और इन आदेश की उल्लंघन करने वाले आढ़तीयों के लाइसेंस कैसिल करने और सख्त विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा जारी इन आदेश से कृषि विपणन में क्रान्तिकारी सुधार आने की संभावना बनी है, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी और आढ़तीयों द्वारा किसान के आर्थिक शोषण पर रोक लग सकेगी और सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे अनैतिक और अवैध कार्य पर नकेल कसेगी।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा 'कच्ची पर्ची' व्यवस्था के चलते किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें 30 से 40 प्रतिशत तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। माननीय हाईकोर्ट के आदेश से सरकार द्वारा लागू किए गए इस फैसले को किसान-हित में एक महत्वपूर्ण कृषि विपणन सुधार माना जा रहा है। सरकार द्वारा आढ़तीयों की अवैध कच्ची रसीद (पर्ची) व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने से हरियाणा की मंडीयों में वर्षों से हो रहे दस हजार करोड़ रूपए वार्षिक से अधिक के किसानों के शोषण और सरकारी धन के घोटालों पर भी लगाम लगाने की आशा बनी है।

का खुला उल्लंघन करते हुए, फसल उपज की सरकारी खरीद में कार्टेल बनाकर और अवैध कच्ची पर्ची (अनौपचारिक रसीद) व्यवस्था द्वारा समर्थन मूल्य से औसत 300- 800 रुपये प्रति क्विंटल कम पर कृषि उपज खरीद से किसानों का खुला शोषण और हजारों करोड़ रुपये वार्षिक के सरकारी धन का गबन करते रहे हैं। आढ़तीयों की अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों को औसत बारह हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति फसल आर्थिक नुकसान होता है जिसके दुष्प्रभाव से हरियाणा-पंजाब में गेहूं-धान फसल चक्र में विश्व स्तरीय उच्च उत्पादकता लेने और समर्थन मूल्य दाम पर

इन आर्थिक अनियमितताओं और आढ़तीयों की लूटेरी अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाई करते हुए, माननीय हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2026 को हरियाणा सरकार को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर 30 दिन में रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए, जिसकी अनुपालना करते हुए हरियाणा सरकार ने पहली अप्रैल 2026 को प्रदेश की कृषि उपज मंडीयों के आढ़तीयों को अवैध कच्ची

भारत देश में बैसाखी का पवित्र त्यौहार धूम-धाम एवं श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह त्यौहार अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी यह त्यौहार धूम-धाम से सम्पन्न होता है। विदेशों में यहां भी भारतीय रहते हैं, इस त्यौहार को दीर्घ मेले के रूप में हर्ष के साथ मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग मिल-जुल कर यह त्यौहार मनाते हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है। बैसाखी का त्यौहार किसान जिमीदार ढोल-ढमके से, भांगड़े, गिद्धे से, रिशतों की मिठास में मनाते हैं। फसलें पक कर तैयार हो जाती हैं। सोने की चमक सी गेहूं की फसल पक कर अपने यौवन की दास्तां कहती हुई किसान को माला-माल करती है। फसलें हंसती हुई झूमती हैं और उन्नति का संदेश देती हैं। फूल अपनी सुरभियों से, फिजा में जन्म की बात करते हैं। आम के वृक्षों पर बूर खुशहाली का भविष्य छोटता है। लह लहाते



खालसा साजना दिवस

सांझीवालता का प्रतीक बैसाखी का त्योहार

है कि देवतों और मानवों ने मिलकर समुन्दर मंथन किया। शिव भगवान ने अमृत देवतों को दे दिया, पिला दिया। जो भी अमृत पीएगा, वह अमर हो जाएगा। दानवों को बुरा पानी दे दिया गया।

प्राचीन इतिहास गवाही भरता है कि देवतों तथा मानवों ने मिल कर समुन्दर मंथन किया। शिव भगवान ने अमृत देवतों को दे दिया, जो भी अमृत पीएगा, वह अमर हो जाएगा। दानवों को बुरा पानी दे दिया गया।

मुस्लमान आवे-हयात - यह जो भी अमृत पीएगा, वह अमर हो जाएगा।

श्री गुरु नानक देव जी ने तथा अन्य सभी गुरुओं ने सतनाम का अमृत बांटा।

आज का दिन सिक्ख इतिहास में गौरवता से मान प्रतिष्ठा से लिया जाता है। आज के दिन ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन (बैसाख माह)

1699 को तख्त श्री केंसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब में पांच ईलाही अमृत मई बाणियों के पाठ करके खण्डे बाटे का अमृत तैयार किया और अलग-अलग धर्मों, जातियों, स्थानों के पांच श्रद्धालुओं को सिंह सजा कर खालसा अकाल पुरुख की फौज का निर्माण किया। कौम में एक नई शक्ति का आगमन किया। दस्तार, केस और पांच ककों (क) अस्तित्व उत्पन्न किया और खालसा पंथ की नींव रख दी। शुद्ध तथा सच्चे निर्भीक खालसा मानव की सृजना की। वे पांच प्यारे थे - भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। इनमें सांझीवालता का अस्तित्व उत्पन्न किया।

बादशाह दरवेस गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म निष्पक्षता, लोक राज्य, समानता (समता) तथा समाजवाद के साथ चलने का यथार्थ

रूप में उपदेश दिया। गुरु जी ने अपना सारा परिवार माता-पिता सहित देश की खातिर कुर्बान कर दिया और दुनिया में इन्सानियत की ज्योति प्रज्वलित कर दिखाई।



उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पण्डितों के लिए कुर्बानी दी। उनकी प्रज्वल की हुई यह ज्योति सूर्य की भांति चमकती रहेगी।

13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन 1919 को ही जल्लियां वाले बाग अमृतसर में माईकल अडवायर तथा

जनरल डायर की सैना ने शांतमई रैली करते लोगों पर अंधाधुंध गोलियां दागी, अनेक लोग शहीद हुए। डॉ. सैफुद्दीन किचलू तथा डॉ. सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चला कर अंग्रेज सरकार ने अनेक भारतीयों को शहीद किया। यह दिन हक्क-सच्च के लिए जूझने की हकीकत बताता रहेगा।

दमदमा साहिब तलवंडी साबो में बैसाखी का मेला धूम-धड़क के से मनाया जाता है। आज के दिन हज़ारों-लाखों लोग अमृत बाटे का अमृत पान करके इस दिन की पवित्रता को जीवंत रखते हैं।

बैसाखी गंगा-सागर बंगाल में भी धूम-धाम से मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शहर डलहोजी के करीब वनीखेत के प्रसिद्ध मन्दिर श्री भुरू नाग देवता में भी धूम धाम एवं श्रद्धा से मनाई जाती है। इस दिन सूर्या उच्च राशियों में प्रवेश करता है जो शुभ माना जाता है। इस दिन माधव-मास का बड़ा महत्व है क्योंकि प्रेति का आनंद होता है।

बैसाखी का त्यौहार सिक्खों के महान सच्च खण्ड पवित्र स्थान श्री हरिमन्दिर साहिब में इन्टरनेशनल



स्तर पर मनाया जाता है। श्रद्धालु देश-विदेश से उपस्थिति भरते हैं। यहां गुरुओं की वाणी का अमृत बरसता है। लोग सुख-हर्ष-आनंद प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध कवि धनि राम चात्रिक का एक शेर है : कणकां दी मुक गई राखी, ओ जट्टा आई बैसाखी।



बलविंदर बालम
ऑंकार नगर,
गुरदासपुर (पंजाब)
मो. 9815625409

खेतों में सरसों पीले-पीले सुन्दर फूलों में दुल्हन सी लगती है। चारों ओर बहार ही बहार। पतझड़ मुंह छुपाकर भाग जाती है। बैसाखी वाले दिन खुशियां आसमान को छूहती हैं। घरों में तरह-तरह के मिष्ठान-व्यंजन पकते हैं। मेहमानों की आमद रिशतों में शहद सी मीठास छोटती है।

प्राचीन इतिहास गवाही भरता

कर्नाटक में देश का सबसे बड़ा 'सूरजमुखी हब', 50 प्रतिशत यहीं से

आंखों को सुकून देने वाली, मीलों दूर तक बिछी सूरजमुखी की यह पीली चादर कर्नाटक के विजयपुरा की है। कर्नाटक देश में सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला राज्य है। देश भर में लगभग 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों से आता है। यह फसल देश की कृषि अर्थव्यवस्था और हज़ारों किसानों की आजीविका का एक बड़ा आधार है। कर्नाटक के



विजयपुरा, कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी और बेल्लारी जैसे जिले सूरजमुखी की खेती के मुख्य गढ़ हैं। इस फसल को हल्की, सूखी जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली काली या लाल मिट्टी की जरूरत होती है। इसे खरीफ, रबी और जायद हर मौसम में उगाया जा सकता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र आदि हैं। इस साल हुई अचानक बारिश और उसके कारण खेतों में बनी अतिरिक्त नमी से फसल में 'उखटा रोग' और अन्य रोग तेजी से फैल गए हैं, जिससे इस साल उत्पादन में कमी होने का अनुमान है। मौसम खराब होने पर उनमें तेल की मात्रा पर भी असर पड़ता है। बता दें कि घरेलू उत्पादन के अलावा, भारत दूसरे देशों से भी बड़े पैमाने पर सूरजमुखी तेल का आयात करता है।

गन्ना किसानों का बकाया 32 गुना बढ़ा, चीनी मिलों पर फंसे 16 हज़ार करोड़, किसानों की मुश्किलें बढ़ीं

देशभर में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण की संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्ष डी.एम.के. सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि गन्ना बकाया में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 32 गुना वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार 16 फरवरी 2026 तक देश में गन्ना मूल्य का कुल बकाया 16,087 करोड़ रुपए है। जबकि 2024-25 में यह 497 करोड़ रुपए और 2023-24 में मात्र 34 करोड़ रुपए था। 2025-26 में किसानों को कुल 79,818 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, जिसमें 63,731 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब 20 प्रतिशत राशि अटकी हुई है।

राज्यों में स्थिति और भी गंभीर सबसे ज्यादा बकाया

कर्नाटक में 4,956 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में यह 4,252 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 3,287 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। गुजरात में 1,402 करोड़ रुपए, पंजाब में 535 करोड़ रुपए, हरियाणा में 373 करोड़ रुपए और बिहार में 212 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। तामिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में भी सैकड़ों करोड़ का बकाया है।

किसान संगठनों ने जताई नाराजगी

किसान संगठनों ने भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता अजित नवले ने कहा कि चीनी की कीमतें गिरने और निर्यात घटने से मिलों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, जिससे भुगतान अटका है। वही भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि असल बकाया आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं।

क्या है समस्या की जड़ और उपाय

समिति ने बताया कि देश में हर साल 300-330 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन होता है, जबकि खपत 270-290 लाख मीट्रिक टन के बीच है। इससे मिलों के पास अतिरिक्त स्टॉक जमा हो जाता है, जिससे उनकी नकदी फंस जाती है और किसानों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। साथ ही चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 29 से बढ़ा कर 31 रुपए प्रति किलो किया गया है और स्टॉक सीमा भी लागू की गई है। नई फसल सीज़न की शुरुआत से पहले बकाया भुगतान का मुद्दा किसानों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत हस्ताक्षेप कर भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि आने वाले समय में संकट और न बढ़े।

कृषि एवं कृषि संबंधित विषयों पर
आधुनिक जानकारी लेने हेतु पढ़ें

खेती संदेश

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

किसान मेलों के अवसर पर
किसान भाईयों के उत्साह को देखते हुए

सदस्यता शुल्क पर

विशेष छूट

एक वर्ष

250/-
रुपए

दो वर्ष **450/-** रुपए

तीन वर्ष **650/-** रुपए



कृषि एवं कृषि सहायक
धंधों की आधुनिक
जानकारी से भरपूर

एक वर्ष में
52 अंक

KHETI DUNIYAN
TID - 62763351



चंदे भेजने हेतु QR कोड स्कैन करें।

पेमेंट करने के पश्चात् अपना डाक पता इस नंबर पर भेजें :



90410-14575

* यह स्कीम 30 अप्रैल, 2026 तक लागू है।

हेरंबा इंडस्ट्रीज द्वारा दो नये उत्पाद फैंटामाईन और माईकोहिल लॉन्च



हेरंबा इंडस्ट्रीज ने हैदराबाद के शमीरपेट स्थित बोम्मरासपेट में लियोनिया होलिस्टिक डेस्टिनेशन रिसोर्ट्स में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में अपने नवाचारपूर्ण फसल पोषण उत्पाद फैंटामाईन (FENTAMINE) और माईकोहिल (MycoHil) का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन श्री एस.के. शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आर.के. शेट्टी और वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एवं मार्केटिंग) श्री सतीश तिवारी सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब की रिपोर्ट

गांवों में आज भी 46 प्रतिशत परिवारों के पास एक गज तक ज़मीन नहीं

शीर्ष 10 प्रतिशत घरों के पास गांव की 44 प्रतिशत ज़मीन

आजादी के सात दशक बाद भी देश में ज़मीन का बंटवारा बेहद असमान है। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब की नई स्टडी के मुताबिक गांवों में 46 प्रतिशत परिवारों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वहीं, कुल ज़मीन का 44 हिस्सा सिर्फ टॉप 10 प्रतिशत घरों के पास है। स्टडी कहती है कि ज़मीन की असमानता सिर्फ आर्थिक वजहों से नहीं, बल्कि इतिहास,

पहली बार... सिंचाई परियोजनाओं से भी असमानता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई

रिपोर्ट ने सिंचाई परियोजनाओं के कमांड एरिया का असर भी देखा। इसमें पाया गया कि कमांड एरिया में आने से ज़मीन की असमानता करीब 1 प्रतिशत अंक (असमानता का स्तर) बढ़ जाती है। यानी खेती की उत्पादकता बढ़ना अपने आप सबके लिए बराबर समृद्धि नहीं बनता।

है। 3.8 प्रतिशत गांवों में सबसे बड़े मालिक के पास 50 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश और बिहार :
ज़मीन के मालिकाना

हक में बड़ा अंतर

* राज्यों के बीच भूमि स्वामित्व में भारी अंतर देखा गया है। गांव के सबसे बड़े भू-स्वामी के पास मौजूद ज़मीन का हिस्सा उत्तर प्रदेश में सबसे कम 7.3 प्रतिशत है, जबकि बिहार में यह सबसे अधिक 20.1 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।

* खेती किसानों पर अत्यधिक निर्भरता वाले चार प्रमुख राज्यों में राजस्थान (34 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (39 प्रतिशत) में भूमिहीनता का स्तर मध्य प्रदेश (51 प्रतिशत) और बिहार (59 प्रतिशत) की तुलना में कम ही पाया गया है।

* व्यावसायिक कृषि के लिए पहचाने जाने वाले पंजाब में भूमिहीनता का स्तर सबसे अधिक 73 प्रतिशत दर्ज किया गया है। 'ऑल हाउसहोल्ड जिनी' पैमाने पर केवल 90 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद बिहार, पंजाब, तामिलनाडू और पश्चिम बंगाल का स्थान है, जहां यह स्कोर लगभग 80 है। इसके विपरीत कर्नाटक और राजस्थान में यह स्कोर 65 से नीचे है।



खेती की स्थितियों, जाति व्यवस्था से ज्यादा ज़मीन है। रिपोर्ट का और बाज़ार से जुड़ाव जैसे फैक्टर एक अहम निष्कर्ष यह है कि

पंजाब में सबसे ज्यादा भूमिहीन परिवार

राज्य	भूमिहीन परिवार	शीर्ष 10 प्रतिशत मालिक
पंजाब	72.8%	40.5%
बिहार	59.4%	56.1%
मध्य प्रदेश	50.7%	42.7%
महाराष्ट्र	48.1%	40.8%
राजस्थान	34.0%	41.9%

मिल कर इसे और गहरा करते हैं। रिपोर्ट 2.7 लाख गांवों के डेटा पर आधारित है और करीब 65 करोड़ लोगों को कवर करती है।

रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 प्रतिशत घरों के पास 32 प्रतिशत और टॉप 1 प्रतिशत के पास 18 प्रतिशत ज़मीन है। गांव स्तर पर भी ज़मीन का मालिकाना कुछ हाथों में सिमटा है। औसतन किसी गांव में सबसे बड़े ज़मीन मालिक के पास 12.4 प्रतिशत ज़मीन होती

जहां खेती के लिए हालात बेहतर हैं, वहां ज़मीन का एक हाथ में ज्यादा दिखता है। यानी उपजाऊ मिट्टी, नियमित सिंचाई और अनुकूल मौसम वाले क्षेत्रों में बड़े ज़मीन मालिकों का दबदबा बढ़ता है।

चिंता... जाति व्यवस्था आज भी हावी, पीढ़ियों तक भूमिहीनता खत्म नहीं

रिपोर्ट बताती है कि जहां अनुसूचित जाति आबादी का अनुपात ज्यादा है, वहां ज़मीन की असमानता भी ज्यादा होने की संभावना दिखती है। ऐतिहासिक रूप से हाशिए के समुदायों को ज़मीन के मालिकाने से दूर रखा गया। इससे पीढ़ियों तक भूमिहीनता बनी रही और कम आय वाले कृषि कार्यों पर निर्भरता बढ़ी।